

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

क्रमांक रीडर/2025/8000

प्रार्थीगण

बनाम

दिनांक - 29/08/2025

अप्रार्थीगण

1 कमलादेवी पत्नि सत्यपाल जाति जाट निवासी हमीरसिंह नगर, राणीगांव तहसील बाडमेर। 2 जेतीदेवी पत्नि पुरखाराम 3 प्रभूराम पुत्र पुरखाराम जाति जाट निवासी जाखडो की ढाणी, सनावडा तसहील बाडमेर 4 मेहराराम पुत्र पुरखाराम निवासी माया का नाडिया, बाडमेर मगरा तहसील बाडमेर ग्रामीण 5 दलीदेवी पत्नि बांकाराम जाति जाट निवासी रामदेरिया तहसील व जिला बाडमेर

1 दुर्गाराम पुत्र लाभूराम 2 जगूराम पुत्र दुर्गाराम 3 जयराम पुत्र अमराराम 4 मघाराम 5 हीराराम पिसरान खेमाराम जाति जाट निवासी माया का नाडिया, बाडमेर मगरा तहसील बाडमेर ग्रामीण 6 लाखाराम पुत्र भैराराम 7 घमण्डाराम पुत्र मूलाराम 8 केशाराम पुत्र खेराजराम 9 मेघाराम पुत्र आईदानराम जाति जाट निवासी जाखडो की ढाणी सनावडा तसहील बाडमेर 10 खेमाराम पुत्र देराजराम निवासी नवले की चक्की, इन्द्रा कॉलोनी बाडमेर तहसील व जिला बाडमेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या :- 214/2025

दिनांक- 19/08/2025

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा माया का नाडिया पटवार हल्का बाडमेर मगरा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 3631/74 रकबा 1.4828 हैक्टेयर, व खसरा संख्या 3630/74 रकबा 1.2043 हैक्टेयर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)

उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक- 29/08/2025

क्रमांक :- रीडर/2025/8001-8004

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बाडमेर मगरा तहसील बाडमेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्राथी कमलादेवी पत्नि सत्यपाल जाति जाट निवासी हमीरसिंह नगर, राणीगांव तहसील व जिला बाडमेर।
4. विप्रार्थीगण जाति जाट निवासी माया का नाडिया, बाडमेर मगराम तहसील बाडमेर ग्रामीण, जिला बाडमेर।

उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी,
बाडमेर